(96)
CN-159974/15

कार्यालय
लोकपाल (मनरेगा)
विकास भवन, पूर्णियाँ।
पत्रांक 127 /

OSD (K. Sidharth)

प्रेषक,

शशांक शेखर सिंह
लोकपाल, मनरेगा
पूर्णियाँ।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

सचिव कोषांग 15 JUN 2015 ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक– 22/05/2015

विषयः– भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोकपाल, मनरेगा के लिए निर्गत Instructions on ombudsman (as revised on 16.01.2014) की कंडिका 8.2.4 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2014–15 के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर कहना है कि उक्त अनुदेश की कंडिका 8.2.4 में यह निर्देश है कि लोकपाल, मनरेगा द्वारा विगत वित्तीय वर्ष का एक वार्षिक प्रतिवेदन भवदीय के अवलोकनार्थ भेजा जायेगा। जिसमें लोकपाल कार्यालय में दायर शिकायत वादों के निष्पादन के क्रम में जो तथ्य सामने आते हैं तथा मनरेगा क्रियाकलापों एवं कार्यों की गुणवत्ता का आकलन कर एक समीक्षात्मक प्रतिवेदन के साथ–साथ मनरेगा कार्यों के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देने का निदेश है।

उक्त निर्देश के अनुपालन में पूर्णियाँ जिला से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

1. वर्ष 2014–15 में लोकपाल कार्यालय में प्राप्त परिवाद एवं निष्पादन की स्थिति :–

परिवादकर्त्ताओं से प्राप्त आवेदन जिन पर कार्रवाई प्रारंभ की गयी। 1	स्वतः (Suomoto) प्रारंभ किये गये मामलों की सं0 2	कुल परिवाद पत्रों की सं0 (1+2) 3	निष्पादित वादों की सं0 4	लंबित वादों की सं0 5
09	05	14	06	08

लंबित रहने का कारण

1. मुख्य रूप से मनरेगा के कार्यपालक अभियंता से तकनीकी प्रतिवेदन अप्राप्त रहना तथा क्षेत्रीय मनरेगा कर्मियों से वाँछित प्रतिवेदन। अभिलेख का प्रस्तुत नहीं किया जाना।
2. लोकपाल पद के अवधि विस्तार बिलंब से होने के कारण तकरीबन 2 1/2 माह तक लंबित वादों पर कार्रवाई स्थगित रही।
3. पंचायत रोजगार सेवकों का लंबी अवधि से हड़ताल पर जाना।

2. शिकायत वादों के निष्पादन के क्रम में मनरेगा के विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन आधारित समीक्षात्म प्रतिवेदन एवं सुझाव :–

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वयन में पायी जानेवाली अनियमितताओं की शिकायत निवारण हेतु स्वतंत्र प्राधिकार लोकपाल (ombudsman) की व्यवस्था की गयी है जो निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ शिकायत वादों की सुनवाई करेंगे।

परन्तु अबतक का अनुभव रहा है कि मनरेगा लोकपाल की पदस्थापना उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व के संबंध में आम नागरिकों/मनरेगा श्रमिकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार का अभाव रहा है फलतः उन लोगों से तथा मनरेगा श्रमिकों से मनरेगा कार्यों में बरती जा रही अनियमिताओं की शिकायतें लोकपाल के स्तर तक बहुत ही अल्प संख्याँ में आ पाती हैं।

अतः इस संबंध में जिला स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। अच्छा तो यह रहता कि जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में सार्वजिनक स्थल पर बोर्ड लगाकर इस संबंध में सूचनायें प्रदर्शित की जाँच जिसमें अनुदेश कंडिका 9.1 में अंकित अनियमितताओं से संबंधित सभी 23 विषयों की सूची भी प्रदर्शित की जाय।

(ख) प्रायः देखा गया है कि किसी शिकायत वाद पर जब कार्रवाई प्रारंभ कर कार्यक्रम पदाधिकारी/तकनीकी पदाधिकारी से किसी प्रतिवेदन/अभिलेख साक्ष्य आदि की मांग की जाती है तो या तो प्रतिवेदन अप्राप्त रहता है या काफी विलंब से प्रतिवेदन दिया जाता है।

क्षेत्रीय मनरेगा कर्मियों के प्रतिवेदन/तकनीकी प्रतिवेदन/अभिलेख आदि के प्रस्तुतीकरण के अभाव में शिकायतों का निष्पादन लंबित तो रहता ही है साथ ही शिकायतकर्त्ताओं के बीच एक गलत संदेश भी जाता है।

अतः सरकार स्तर से सभी सबंधितों को स्पष्ट निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

(ग) अनुदेश की कंडिका–14 के अन्तर्गत लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय के अधिकतक दो माह के अन्दर सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश निर्गत है तथा कृत कार्रवाई (ATR) की सूचना लोकपाल को भी दिया जाना है। परन्तु इस संबंध में जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक का रवैया उदासीन रहता है।

यदि लोकपाल द्वारा निर्गत अधिनिर्णयों पर ससमय अपेक्षित कार्रवाई सक्षम स्तर से की जाती है तो इसका एक अच्छा संदेश पंचायतों में/अन्य नागरिकों के बीच जायेगा। जिससे मनरेगा कार्यों के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है।

(घ) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से निर्गत मार्ग दर्शिका के अध्याय 1 की कंडिका 28 में कार्यक्रम पदाधिकारी के दायित्वों के संबंध में यह निर्देश है कि माह में एक बार प्रत्येक पंचायत में चल रहे सभी कार्यों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे तथा कनीय अभियंता के दायित्व की कंडिका 19 में यह निर्देश है कि कनीय अभियंता 100 प्रतिशत योजनाओं का नियमित निरीक्षण करेंगे।

परन्तु देखा गया है कि कार्यक्रम पदाधिकारी/कनीय अभियंता द्वारा नियमित निरीक्षण नहीं किया जाता है। यदि योजनाओं का नियमित निरीक्षण किया जाय तो पंचायत द्वारा बरती जा रही अनियमितातायें प्रारंभिक स्तर पर ही रोकी जा सकती है इस संबंध में राज्य एवं जिला स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है।

(ड) शिकायत वादों की सुनवाई के क्रम में प्रायः ऐसा देखा गया है कि श्रमिकों को निर्गत जॉबकार्ड में उनके द्वारा किये गये कार्य अवधि का इन्दराज पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा या तो किया ही नहीं जाता है या किया भी जाता है तो सम्पूर्ण अवधि का इन्दराज नहीं किया जाता है। फलतः MIS में emusterroll में अंकित अवधि और जॉबकार्ड में अंकित अवधि में कोई तालमेल ही नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में मजदूरी भुगतान में अनियमितता की संभावना को प्रश्रय मिलने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः जॉबकार्ड में कार्य अवधि को शत–प्रशित इन्दराज किये जाने का निदेश संबंधित मनरेगा कर्मियों को दिया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त कंडिकाओं में दिये गये कतिपय सुझावों के क्रियान्वयन होने से मनरेगा योजना का कार्यान्वयन/शिकायतों का निवारण पारदर्शी तरीके से करते हुए योजना के उद्धेश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतिवेदन सादर समर्पित।

विश्वासभाजन

(शशांक शेखर सिंह)
लोकपाल (मनरेगा),पूर्णियाँ।

OSD (K. [illegible])

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), पूर्णियाँ

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष (2014–15)

जिला का नामः– पूर्णियाँ

माहः–अप्रैल वर्षः– 2015

क्रम सं०	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	शशांक शेखर सिंह	8	0	8	–	–	वर्ष 2014–15 में इस माह तक प्राप्त मामले 14; निष्पादित मामले 06 प्रारंभ में अबतक प्राप्त मामले 39; निष्पादित मामले 31

नोट :– लंबित 8 मामलों में कार्यक्रम पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, मनरेगा से प्रतिवेदन साक्ष्य एवं अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण वाद का निष्पादन लंबित है स्मारित किया गया है।

ज्ञापांक– 125 दिनांक– 21.05.2015

प्रतिलिपि :– सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्णियाँ।

D:\Jan, feb 2015

CN- 111101/15

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), पूर्णियाँ

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष (2014-15)

जिला का नामः- पूर्णियाँ

माहः-जनवरी वर्षः- 2015

क्रम सं0	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शशांक शेखर सिंह	8	0	8	–	–	वर्ष 2014-15 में इस माह तक प्राप्त मामले 14; निष्पादित मामले 06; प्रारंभ में अबतक प्राप्त मामले 39; निष्पादित मामले 31

नोट :- लंबित 8 मामलों में कार्यक्रम पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, मनरेगा से प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण वाद का निष्पादन लंबित स्मारित किया गया है।

ज्ञापांक- 120 दिनांक- 30.03.2015

प्रतिलिपि :- सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्णियाँ।

D:\Jan, feb 2015

CN-111026/15 (50)

कार्यालय, लोकपाल (मनरेगा), पूर्णियाँ

मनरेगा योजना से संबंधित प्राप्त शिकायत/मामलों के निष्पादन से संबंधित मासिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष (2014–15)

जिला का नामः– पूर्णियाँ

माहः–फरवरी वर्षः– 2015

क्रम सं०	लोकपाल का नाम	माह के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	माह में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल परिवाद (शिकायत) पत्रों की संख्या	निष्पादित परिवाद की संख्या	लोकपाल द्वारा परिवाद के निष्पादन के क्रम में पारित आदेश का शिकायतवार सार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शशांक शेखर सिंह	8	0	8	–	–	वर्ष 2014–15 में इस माह तक प्राप्त मामले 14; निष्पादित मामले 06 प्रारंभ में अबतक प्राप्त मामले 39; निष्पादित मामले 31

नोट :– लंबित 8 मामलों में कार्यक्रम पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंता, मनरेगा से प्रतिवेदन, साक्ष्य एवं अमिलेख अप्राप्त रहने के कारण दाद का निष्पादन लंबित स्मारित किया गया है।

ज्ञापांक– 121 दिनांक– 31.03.2015

प्रतिलिपि :– सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

लोकपाल (मनरेगा)
पूर्णियाँ।

D:\Jan, feb 2015